छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक 182 /अ.आ./मुख्या./निविदा/101-2011 रायपुर, दिनांक 18/01/2016

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
संभाग क्रमांक-1/2/3/4 रायपुर/राजधानी परियोजना संभाग-I/II नया रायपुर
विद्युत संभाग क्र-1,2,3/ दुर्ग/परि.संभाग दुर्ग/बिलासपुर/राजनांदगाँव/
रायगढ /जगदलपुर /कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव

विषयः- आयटम दर निविदाओं के संबंध में।

---00---

विषयांतर्गत निर्देशित किया जाता है कि प्रपत्र-ब आधार पर स्वीकृत निविदाओं में Quantity Variation होने पर भी L1 ही निम्नतम बना रहे। इस हेतु प्रत्येक चल देयक भुगतान पूर्व L1 के दर की तुलना L2 द्वारा दिये गये दर से की जाना आवश्यक है तथा किसी भी परिस्थिति में L2 द्वितीय निम्नतम ही रहना चाहिये। उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा अंतर की राशि की वसूली हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

Barxena 18/1/16

अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
मुख्यालय, रायपुर

पृ. क्र. 183 /अ.आ./मुख्या./निविदा/101-2011 रायपुर, दिनांक 18/01/2016

प्रतिलिपि :-

1. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त रायपुर /वृत्त दुर्ग /वृत्त बिलासपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि आपके वृत्त अंतर्गत संभागीय कार्यालयों द्वारा उक्त दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

Barxena 18/1/16

अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
मुख्यालय, रायपुर